कम्प्यूटर-परिपत्र सं0 1819069 दिनांक 05-12-2018

पत्र संख्या–एस0एस0 अपील हस्तान्तरण निर्देश/2018–19/ 578 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक 05–दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2018–19 में द्वितीय त्रैमास के अन्त में प्रदेश में लम्बित प्रथम अपीलों की समीक्षा करने पर प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रदेश में 31,646 अपीलें अनिस्तारित अवशेष थी। वित्तीय वर्ष के दो त्रैमास (छः माह) तक 22,281 नयी अपीलें दायर हुयी इस प्रकार कुल प्राप्त 53927 अपीलों में से 23542 अपीलें निस्तारित हुयी जो 43.6 प्रतिशत है। 30,385 अपीले दिनांक 01.10.18 को निस्तारण हेतु अवशेष हैं।

अपीलों के दायरा व निस्तारण के online माड्यूल के परीक्षण पर पाया गया कि उक्त अवशेष अपीलों में टिन संख्या के आधार पर कुल 19903 व्यापारियों द्वारा अपीले दायर है, जिसमें 14532 अपीलों में प्रथम नोटिस जारी नहीं किया गया है।

सभी न्यायिक सम्भागों की द्वितीय त्रैमास दिनांक 30.09.2018 तक प्रेषित अपील विवरण के परीक्षण पर यह पाया गया कि एक ही लोकेशन पर स्थित न्यायिक सम्भागों की अवशेष अपीलों की संख्या में काफी अन्तर है। उदाहारणार्थ गाजियाबाद प्रथम 1035, गाजियाबाद चतुर्थ 254, लखनऊ द्वितीय 275 व लखनऊ तृतीय में 1507 अपीलें अवशेष हैं। यही स्थिति पूरे प्रदेश में अन्य न्यायिक सम्भागों के स्तर पर भी है। स्पष्ट है कि कतिपय अपीलीय अधिकारियों पर अपीलें अधिक होने के कारण उन पर कार्य का दबाव अधिक है व कतिपय अधिकारी के पास मानक के अनुसार भी कार्य नही है। अतः प्रदेश में गुणवत्ता पूर्ण व समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सम्भागों में अपीलीय अधिकारियों के बीच अपीलों का हस्तान्तरण किया जाना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप जहॉ एक ओर अपीलार्थी को समय से न्याय मिल सकेगा वहीं दूसरी ओर अपील में निहित धनराशि की वसूली होकर राजस्व वृद्धि होगी।

अपीलों के हस्तान्तरण को पारदर्शी बनाने के लिए आई0टी0 अनुभाग द्वारा सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग आबजेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर करते हुए अपीलों (TIN) (जिनमें नोटिस जारी नहीं है) के हस्तान्तरण हेतु चयनित किया गया है। उक्त प्रक्रिया का परीक्षण मुख्यालय पर गठित वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है, जिसे उचित एवं पारदर्शी पाया गया ।

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 71(3)(ए) व व्यापार कर नियमावली के नियम 81(3)(ए) के अन्तर्गत, ऐसी अपीलें जिनमें नोटिस जारी नहीं की गयी है, उन अपीलों के हस्तान्तरण का अधिकार कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त है। उक्त शक्तियों के अन्तर्गत सलग्न सूची के अनुसार निर्दिष्ट अपीलों को एक ही स्थल पर एक न्यायिक सम्भाग से दूसरे

न्यायिक सम्भागों को अपीलें पृथक आदेश निर्गत करते हुये हस्तान्तरित की जाती हैं। तद्नुसार हस्तान्तरित अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। यदि मुख्यालय के हस्तान्तरित आदेशों की सूची में सम्मिलित अपील में नोटिस जारी है अथवा अपील निस्तारित हो चुकी है, उसे जोनल स्तर पर अपील की हस्तान्तरित सूची से हटाकर इस कार्यालय के ई–मेल पर अलग–अलग सूचियां प्रेषित की जायें। जिनके सम्बन्ध में विधिक आदेश तदनुसार संशोधित पारित किये जायेगें। यदि न्यायिक सम्भाग से भिन्न अधिकारी को अपील हस्तान्तरित होती है तो वह अपीलीय अधिकारी जिस लोकेशन की अपील है वहीं कैम्प कर अपील का निस्तारण करेंगें।

उपरोक्त प्रकिया से समयबद्ध अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा। ध्यान रखा जाये कि उक्त प्रकिया से अधिवक्ताओं/व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

5/12/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर उ0प्र0।